# राज्य निर्वाचन आयोग
## उत्तराखण्ड



सत्यमेव जयते

## राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या:–1494/रा0नि0आ0अनु0–2/1014/2009
देहरादून: दिनांक 04 जनवरी, 2011

### अधिसूचना

उत्तराखण्ड शासन, पंचायती राज विभाग, देहरादून की अधिसूचना संख्या–1045(1) /XII/2010/70(48)/2011 दिनांक 03 जनवरी, 2011 के क्रम में मैं, हरिश्चन्द्र जोशी राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के जनपद हरिद्वार की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं सदस्यों के निर्वाचन निम्नांकित विर्निदिष्ट समय–सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे :–

| निर्वाचन चक्र | विकासखण्डों का नाम | नामांकन | नामांकन पत्रों की जांच | नामांकन वापसी | निर्वाचन प्रतीक आवंटन | मतदान | मतगणना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रथम चक्र | 1.बहादरा बाद<br>2.रूडकी<br>3. खानपुर | 19.01.2011 से 22.01.2011 तक (10.00 बजे से अपरान्ह 17.00 बजे तक) | 24.01.2011 से 25.01.2011 तक (10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 27.01.2011 (पूर्वाह्न 10.00 से 16.00 बजे तक) | 28.01.2011 (10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 12.02.2011 (प्रातः 8.00 बजे से अपरान्ह 17.00 बजे तक) | 21.02.2011 (प्रातः 8.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) |
| द्वितीय चक्र | 1.भगवानपुर<br>2.लक्सर<br>3.नारसन | 19.01.2011 से 22.01.2011 तक (10.00 बजे से अपरान्ह 17.00 बजे तक) | 24.01.2011 से 25.01.2011 तक (10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 27.01.2011 (पूर्वाह्न 10.00 से 16.00 बजे तक) | 04.02.2011 (10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 19.02.2011 (प्रातः 8.00 बजे से अपरान्ह 17.00 बजे तक) | 21.02.2011 (प्रातः 8.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) |

2. निर्वाचन दो चरणों में होगें, उपरोक्तानुसार चकवार विकासखण्डों का निर्धारण किया गया है।

3. जिलामजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत), हरिद्वार अपने जनपद की ग्राम पंचायतों के प्रधानों, सदस्यों एवं ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण सहित पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 07.01.2011 को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करेंगे और उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिलामजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत), हरिद्वार द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा और ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना–पटों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

4.जिलामजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) की उपर्युक्त सूचना के अधीन निर्वाचन अधिकारी ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा ग्राम पंचायतों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण सहित पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना नामांकन के प्रथम दिनांक से पूर्व निर्गत करेंगे और उसकी प्रति जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) को तत्काल प्रेषित करेंगे।

5. प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत के प्रत्याशियों के, नाम–निर्देशन–पत्रों की बिक्री जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना जारी करने की तिथि से कार्यालय समय में तथा दिनांक 19.01.2011 से 22.01.2011 की अवधि में पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 16.00 बजे तक विकास खण्ड मुख्यालयों पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

कमशः...................2

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष / 2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 2670920, 2678945

6. इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन–प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत के पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) मुख्यालय पर होगा। मतों की गणना क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) के मुख्यालय पर की जायेगी तथा परिणाम क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर घोषित किये जायेगे।

4/1/2011

(हरिश्चन्द्र जोशी)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्याः–1494(1)/रा0नि0आ0अनु0–2/1014/2009 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास पंचायतीराज उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव,मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, परिवहन,उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तराखण्ड शासन।
8. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
10. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल,उत्तराखण्ड।
11. सचिव, पंचायती राज,उत्तराखण्ड शासन।
12. पुलिस महानिदेशक,उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, पंचायती राज,उत्तराखण्ड।
14. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार।
15. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार।
16. उप जिला निर्वाचन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, हरिद्वार।
17. जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार,।
18. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, हरिद्वार।
19. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित कराने का कष्ट करें।
20. निदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में निशुल्कः प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
21. समाचार सम्पादक, आकाशवाणी नजीबाबाद केन्द्र, नजीबाबाद।
22. निजी सचिव, पंचायती राज मंत्री,उत्तराखण्ड शासन।
23. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 25(पच्चीस) प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया ध्यान रहे कि यह अधिसूचना विधायी परिशिष्ट में नहीं छपेगी।
24. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
25. सूचना–पट, राज्य निर्वाचन आयोग,उत्तराखण्ड।

(हरिश्चन्द्र जोशी)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।